(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाटिलर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिहार में फैरी सेवाओं को चलाने की जिम्मेदारी बिहार राज्य सरकार की है क्योंकि संविधान के अंतर्गत यह राज्य का विषय है।

दिल्ली परिवहन निगम का पुनर्गठन करने के बारे में समिति की सिफारिशें

7897. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने अपनी 32वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि दिल्ली परिवहन निगम का यथाशीघ्र पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है।

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है या किये जाने का विचार है।

(ग) 1993-94 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक दिल्ली परिवहन निगम को कुल कितनी हानि हो चुकी है, और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम को लगातार घाटे से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी हां।

(ख) सरकार अभी रिपोर्ट की जांच कर रही है।

(ग) वर्ष 1993-94 के अंत तक दि०प०नि० को कुल 1375.97 करोड़ रु० (अनन्तिम) का संचित घाटा हुआ है।

(घ) दि०प०नि० के कामकाज में सुधार लाने तथा इसके घाटे को कम करने के लिए सरकार इसके कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखती रही है। इस प्रयोजनार्थ, ईंधन में अधिक किफायत, टायरों की आयु में वृद्धि, बेहतर रख-रखाव द्वारा ब्रेक-डाउन की संख्या में कमी, तथा खर्च में कमी आदि जैसे कुछेक उपाय किए गए है।

दि०प०नि० के राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रभावी जांच के माध्यम से राजस्व की चोरी को रोकने स्क्रैप का शीघ्र निपटान करने, तथा रूटों को युक्तिसंगत बनाने जैसे अन्य उपाय भी किए गए हैं।

31.3.92 की स्थिति के अनुसार ने लौटाए जाने वाले सम्पूर्ण बकाया पूंजीगत ऋण तथा उस पर ब्याज की राशि को सरकार ने इक्विटी पूंजी में बदले जाने की मंजूरी दे दी है।

पुनरीक्षित सड़क कोष की राशि गुजरात को जारी किया जाना

7898. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पुनरीक्षित सड़क कोष की पूरी राशि जारी करने करने हेतु समय-समय पर अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस राज्य की शेष राशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यह काम कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) संभवतः, माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सड़क निधि से है जिसके तहत निधियां जारी किए जाने के बारे में गुजरात से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) पुराने संकल्प के अनुसार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को प्रति वर्ष पूरे देश के लिए 10 करोड़ रु० मिलते हैं जो कि बहुत कम है। संसद द्वारा पारित संशोधित संकल्प को अभी लागू किया जाना है। गुजरात राज्य के अनुरोध को उपलब्ध निधियों में से जहां तक संभव था मान लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु करों का लगाया जाना

7899. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ कर लगाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि